फाइल संख्या-71-1001/120/2020

114/2021/।/83201/2021

प्रेषक,

एस0 पी0 सिंह,
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,
उ0प्र0, लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1 लखनऊ : दिनॉक 28 जुलाई, 2021

विषय:- वित्तीय वर्ष 2021-22 में बी0आर0डी0 मेडिकल कालेज, गोरखपुर में 100 सीटेड गर्ल्स स्नातकोत्तर छात्रावास के निर्माण हेतु जी0एस0टी0 की अवशेष धनराशि अवमुक्त किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-एमई/बजट/2020-21/406, दिनॉक 25-09-2020 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा बी0आर0डी0 मेडिकल कालेज, गोरखपुर में 100 सीटेड गर्ल्स स्नातकोत्तर छात्रावास के निर्माण हेतु निर्माण कार्य की लागत की 5 प्रतिशत की शेष धनराशि तथा जी0एस0टी0 की शेष धनराशि रू0 43,03,366.00 अवमुक्त किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- आपके उपर्युक्त संदर्भित पत्र दिनॉक 25.09.2020 के क्रम में अवगत कराना है कि प्रश्नगत कार्य हेतु पी0एफ0ए0डी0 द्वारा पुनरीक्षित लागत रू0 1184.75 लाख आकलित की गई थी। उक्त आकलित धनराशि के सापेक्ष अब तक रू0 1125.52 लाख की धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है तथा 5 प्रतिशत के रूप में देय धनराशि रू0 59.2375 लाख अवमुक्त किया जाना अवशेष था। आपके पत्र दिनॉक 18.03.2019 द्वारा परियोजना की अवशेष 5 प्रतिशत देय धनराशि रू0 59.2375 लाख तथा उस पर अनुमन्य जी0एस0टी0 12 प्रतिशत रू0 7,10,760/- एवं पूर्व में जी0एस0टी0 के रूप में रोकी गई धनराशि रू0 40,09,606/- इस प्रकार कुल रू0 1,06,43,366/- की धनराशि अवमुक्त किये जाने हेतु किये गये अनुरोध के क्रम में शासनादेश दिनॉक 23.03.2020 द्वारा रू0 63.40 लाख की धनराशि अवमुक्त की गई है। उक्त अवमुक्त धनराशि घटाते हुए जी0एस0टी0 की शेष धनराशि रू0 43,03,366.00 अवमुक्त किया जाना शेष है।

3- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि बी0आर0डी0 मेडिकल कालेज, गोरखपुर में 100 सीटेड गर्ल्स स्नातकोत्तर छात्रावास के निर्माण हेतु अवशेष 5 प्रतिशत की धनराशि तथा परियोजना पर जी0एस0टी0 की शेष धनराशि अवमुक्त किये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2021-22 में राजकीय मेडिकल कालेज, गोरखपुर हेतु अनुदान संख्या-31 के अन्तर्गत वृहद निर्माण कार्य में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष रू0 43,03,366.00 (रू0 तिरालीस लाख तीन हजार तीन सौ छाछठ मात्र) अवमुक्त किये जाने पर निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

1. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनॉक 22-03-2021 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
2. स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय उन्ही कार्यो/मदों में किया जायेगा, जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है, किन्ही अन्य कार्यो/मदों पर धनराशि का व्यय अथवा व्ययावर्तन वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी।
3. कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी महानिदेशक /प्रधानाचार्य/कार्यदायी संस्था की होगी।
4. अवमुक्त धनराशि का आहरण आवश्यकतानुसार करते हुए व्यय नियमानुसार किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि को पी0एल0ए0/बैंक खाते में नही रखा जायेगा।
5. प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यो की दिरावृत्ति (डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से महानिदेशक/प्रधानाचार्य द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।
6. शासनादेश संख्या-42/334/71-1-2014-जी-403/2013, दिनॉक 17.11.2014 की शेष शर्ते यथावत् रहेंगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

4- उक्त पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2021-22 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-31 के अधीन लेखाशीर्षक ''4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय-03-चिकित्सा, शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-105-एलोपैथी-43-राजकीय मेडिकल कालेज, गोरखपुर-24-वृहद निर्माण कार्य'' के नामे डाला जायेगा।''

5- यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-3/2021/बी-1-375/दस-2021-231/2021, दिनॉक 22 मार्च, 2021 में प्रतिनिहित अधिकारों के अन्तर्गत जारी किये जा रहे है।

भवदीय

(एस0 पी0 सिंह)
अनु सचिव

संख्या–उपरोक्त तद्यदिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- वित्त नियंत्रक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
3- प्रधानाचार्य, मेडिकल कालेज, गोरखपुर।
4- वित्त नियंत्रक, मेडिकल कालेज, गोरखपुर।
5- वरिष्ठ कोषाधिकारी, गोरखपुर।
6- प्रबन्ध निदेशक, यू0पी0 स्टेट कन्स्ट्रक्शन एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलेपमेन्ट कारपोरेशन लि0, लखनऊ।
7- नियोजन-अनुभाग-4
8- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3
9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(एस0 पी0 सिंह)
अनु सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।